न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/45/2019

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री प्रतापसिंह,
एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड जिला–अलवर
(राज.)–301701

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 25.06.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.07.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 20.05.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्टेट हाईवे नं. 111 के संबंध में 05 बिन्दुओं पर कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 20.05.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 22.06.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/853 दिनांकः 03.07.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 20.05.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः लोक सूचना/2019/666 दिनांकः 10.06.19 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है जिसके अुनसार विनिश्चय दिनांकः 10.06.19 के बिन्दु सं. 1,2 व 5 अंतर्गत वांछित सूचना संबंधी पत्रों का अंकन नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है व बिन्दु सं. 3 व 4 के क्रम में रिकॉर्ड अनुसार सूचित किया गया है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

10. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत वांछित सूचना की पूर्ण विशिष्टियों का अंकन करते हुए लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाना आवश्यक है।
11. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।
12. प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
14. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)